

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2026-पौष 26, शक 1947

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2026

क्रमांक एफ 1/0015/2025/26-1 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में -

- नियमों में सर्वत्र, शब्द "सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण" जहाँ कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर, शब्द "सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण" स्थापित किए जाएं।
- अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 12, 18 और 22 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पद

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान + ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	अधीक्षक, मानसिक रूप से अविकसित बच्चों का गृह	7	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400	सहायक संचालक संवर्ग
18	अधीक्षक दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय	4	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400	सहायक संचालक संवर्ग
22	अधीक्षक अस्थि बाधित बालगृह (इन्दौर तथा बैतूल)	2	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400	सहायक संचालक संवर्ग

No.F 1/0015/2025/26-1:- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh, Directorate of Social Justice and Disabled Persons Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2015, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,

1. throughout the rules, for the words "Social Justice and Disabled Persons Welfare", wherever they occur, the words "Social Justice and Empowerment of persons with Disabilities" shall be substituted.
2. In Schedule-1, for serial numbers 12, 18 and 22 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

Schedule-1

(See rule 5)

Classification of Service, Scale of Pay and Posts included in the Service

S. No	Name of Post included in the service	Number of Posts	Classification	Pay Scale + Grade Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Superintendent, Home for Mentally Retarded Children	7	Class II	15600-39100+5400	Assistant Director Cadre
18	Superintendent, School for Visually and Hearing Disabled	4	Class II	15600-39100+5400	Assistant Director Cadre
22	Superintendent, Home for Orthopaedically Disabled Children (Indore and Betul)	2	Class II	15600-39100+5400	Assistant Director Cadre

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंकिता धाकरे, उपसचिव.